

दिनांक 76 15-7-08-1023/2008

प्रेषक-
ममता श्रीवास्तव
उप सचिव
राज्य प्रवेश आयोग।


प्रेषण में
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

विद्या (2) अनुभाग संख-नऊ दिनांक 11 जून 2008

विषय- विद्या सागर एकेडमी राधा, मथुरा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने विषयक।

संदर्भ- उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदसित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- (1) विद्यालय की वर्तमान सफायावटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।


Jay Prakash Pathak
Secretary/Manager
Vidya Sagar Academy
Raya, Mathura

- (5) संस्था के वैश्विक एवं विश्वस्तरीय कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य मूल्यों से कम वेतनमान तथा अन्य मूल्यों नहीं दिए जायेंगे।
 - (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेंगे।
 - (7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निगत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 - (8) विद्यालय को दिनांक निर्धारित प्रयत्न पत्रिकाओं में रखा जायेंगा।
 - (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेंगा।
3. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेंगा।


भवदीय
/ (ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पू०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा।
- 4- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- विद्या सागर एकेडमी राय, मथुरा।
- 6- गार्ड बुक

आज्ञा से
2021
(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।


Jay Prakash Pathak
Secretary/Manager
Vidya Sagar Academy
Raya, Mathura